NABARD

संदर्भ सं. राबैं.डॉर/ G1269/ एलटी पॉलिसी -156/ 2024-25 03 अक्टूबर 2024

परिपत्र सं. 208 / डॉर - 45/ 2024

प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ मुख्य परिचालन अधिकारी
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफ़सी)

महोदया/ महोदय,

वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु दीर्घावधि पुनर्वित्त - अस्थायी दर के दिशानिर्देश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

कृपया दिनांक 04 दिसंबर 2023 के संदर्भ सं. राबैं.डॉर/ 991/ एलटी पॉलिसी-156/ 2023-24 के माध्यम से संचारित वर्ष 2023-24 हेतु गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए दीर्घावधि पुनर्वित्त के लिए दिशानिर्देशों का संदर्भ लें. उसी क्रम में दीर्घावधि पुनर्वित्त अस्थायी दर की संविदा की शर्तें अनुबंध में प्रस्तुत हैं.

2. ये दिशानिर्देश नाबार्ड की वेबसाइट www.nabard.org में 'सूचना केंद्र' टैब के तहत भी उपलब्ध हैं.

3. कृपया पावती दें.

भवदीय

eSign
Signed by: KANIYUR SUNDARARAJAN MAHESH
Organization Unit: CHIEF GENERAL MANAGER
Organization Name: THE NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
Date: 03-Oct-2024 (06:04 PM)

(डॉ के एस महेश)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक : पृष्ठ

NABARD

मुख्य दस्तावेज़

दस्तावेज़ शीर्षक	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु दीर्घावधि पुनर्वित्त - अस्थायी दर के दिशानिर्देश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ
मसौदा तैयार करने वाला विभाग	पुनर्वित्त विभाग
दिनांक	सितंबर 2024
दस्तावेज़ वर्गीकरण (आंतरिक/ बाह्य)	बाह्य
दस्तावेज़ सं./ संस्करण सं.	

संस्करण इतिहास

संस्करण सं.	**वित्तीय वर्ष**	**संशोधन/ टिप्पणियाँ**	**संशोधनकर्ता**
1.0	2024-25	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु दीर्घावधि पुनर्वित्त - अस्थायी दर के दिशानिर्देश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	पुनर्वित्त विभाग

संदर्भ

क्रम. सं.	**संदर्भ**	**संदर्भ सं.**
1	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को योजनाबद्ध ऋण वितरण हेतु दिशानिर्देश	दिनांक 04 दिसंबर 2023 का परिपत्र संदर्भ सं. राबैं.डॉर/ 991/ एलटी पॉलिसी - 156/ 2023-24

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development
पुनर्वित्त विभाग
प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26524926 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: dor@nabard.org
Department of Refinance
Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26524926• Fax: +91 22 26530090• E-mail: dor@nabard.org

NABARD

अनुबंध

अस्थायी ब्याज दर के तहत संविदा की शर्तें

(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को दीर्घावधि पुनर्वित्त)

1. **बेंचमार्क दर:** बेंचमार्क दर और स्प्रेड का निर्धारण और उसकी घोषणा नाबार्ड द्वारा की जाएगी. वर्तमान में दीर्घावधि पुनर्वित्त के तहत सभी अस्थायी दर उत्पादों और अवधियों के लिए बेंचमार्क दर 3 माह वाले टी-बिल है. बाह्य बेंचमार्क दरें मार्केट लिंक्ड है और रीसेट के समय उन्हें परिवर्तित किया जाता है.
2. **ब्याज दर:** अस्थिर (फ्लेक्सिबल) ब्याज दर बाजार संचालित होगा और समय-समय पर नाबार्ड के निर्धारण अनुसार होगा. ब्याज दर में 3 माह वाले टी-बिल बेंचमार्क दर, स्प्रेड और प्रयोज्य प्रीमियम शामिल होंगे, जिसका निर्धारण नाबार्ड द्वारा समय-समय पर किया जाएगा.
3. **ब्याज दर:** ब्याज दर की गणना उपलब्ध/ संवितरण की तिथि के अनुसार प्रासंगिक बेंचमार्क 3 माह वाले टी-बिल दर के आधार पर उस तिथि के अनुसार की जाती है.

उदाहरण: यदि पुनर्वित्त के संवितरण की तिथि 28.08.2024 है, तो 27.08.2024 के दिन के अंत (ईओडी) पर बेंचमार्क ब्याज दर सहित स्प्रेड को 28.08.2024 को संवितरण हेतु ब्याज दर निर्धारित करने के लिए माना जाएगा.

4. **स्प्रेड में परिवर्तन:** किसी ऋण अवधि की मंजूरी के समय निर्धारित स्प्रेड को ऋण की संपूर्ण अवधि के लिए निर्धारित रखा जाएगा. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग आस्तियों की मानक प्रावधान आवश्यकता/ जोखिम वेटेज में सुधार किए जाने की स्थिति में नाबार्ड के पास स्प्रेड में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा.
5. **ब्याज रीसेट:** प्रयोज्य बेंचमार्क दर (बेंचमार्क रीसेट तिथि) के अनुसार ब्याज दर को रीसेट किया जाएगा, यानि मूलधन राशि के संवितरण की तिथि से 90 दिन बाद (यानि 91वें दिन पर), भले ही उस दिन शनिवार/ रविवार/ अवकाश हो.

उदाहरण: यदि पुनर्वित्त के संवितरण की तिथि 28.08.2024 है, तो पहला रीसेट 26.11.2024 को किया जाएगा.

6. **जोखिम प्रीमियम:** जोखिम प्रीमियम को मंजूरी के समय नाबार्ड द्वारा दी गई आंतरिक रेटिंग के आधार पर स्प्रेड में समायोजित किया जाता है. तथापि, एनबीएफ़सी के बाह्य ऋण रेटिंग में गिरावट की स्थिति में स्प्रेड में परिवर्तन किया जा सकता है और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण खाते की वार्षिक समीक्षा के दौरान तदनुसार उसे संशोधित किया जाएगा (रेटिंग में प्रत्येक गिरावट (AAA से AA, AA से A, आदि में उतार-चढ़ाव) के लिए 25 बीपीएस का अतिरिक्त ब्याज दर प्रभारित किया जाएगा).
7. **पूर्व-भुगतान प्रभार:** यदि बैंक एक वर्ष के पहले पूर्व-भुगतान करने हेतु इच्छुक हो, तो पूर्व-भुगतान प्रभार वसूल किया जाएगा. भुगतान की तिथि पर मौजूदा बेंचमार्क दर (3 माह वाले टी-बिल) को पूर्व-भुगतान हेतु माना जाएगा और प्रभार 2.50% प्रतिवर्ष जोड़ प्रयोज्य कर होंगे. ये प्रभार पूर्व-भुगतान की तिथि से लेकर किस्त के भुगतान हेतु देय होने की तिथि तक संपूर्ण अवधि के लिए देय प्रत्येक किस्त के लिए पृथक रूप से लागू होंगे, जहाँ न्यूनतम अवधि 6 महीने की होगी. पुव-भुगतान केवल 3 कार्य दिवस की न्यूनतम सूचना प्रदान करने के पश्चात् ही जारी किए जा सकेंगे.

8. **दंडात्मक प्रभार:** चूक की स्थिति में चूक की अवधि के लिए चूक की गई राशि पर प्रयोज्य करों सहित 2.00% प्रतिवर्ष दंडात्मक प्रभार लागू होंगे.
9. **मूलधन की चुकौती:** मूलधन किस्त की चुकौती संवितरण की तिथि से तिमाही आधार पर की जाएगी और वह पुनर्वित्त की मंजूरी की शर्तों के अनुसार होगी. महीने की किसी भी तिथि को मंजूर किए गए पुनर्वित्त हेतु मूलधन राशि की प्रथम देय तिथि संवितरण की तिथि से लेकर तीन महीने पूरे होने के बाद का अंतिम दिन होगा, और अनुवर्ती चुकौतियाँ तिमाही आधार पर की जाएगी.
10. **ब्याज भुगतान:** ब्याज का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाएगा. ब्याज हेतु देय तिथियाँ 01 जुलाई, 01 अक्तूबर, 01 जनवरी और 01 अप्रैल होंगी.

उदाहरण:

क) यदि संवितरण तिथि महीने की 15वीं तारीख से पहले, उदाहरणस्वरूप 11.09.2024 रहती है, तो ब्याज के प्रथम भुगतान की देय तिथि 01.10.2024 होगी. इसके पश्चात् देय तिथि प्रत्येक तिमाही का पहला दिन होगा.

ख) यदि संवितरण तिथि महीने की 15वीं तारीख पर या उसके बाद, उदाहरणस्वरूप 17.09.2024 रहती है, तो ब्याज के प्रथम भुगतान की देय तिथि 01.01.2025 होगी. इसके पश्चात् देय तिथि प्रत्येक तिमाही का पहला दिन होगा.

11. दीर्घावधि पुनर्वित्त के तहत योजनाबद्ध ऋण वितरण हेतु परिचालन दिशानिर्देश की मौजूदा अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी.
12. संरचित चुकौती समयसारणी की अनुमति नहीं है.